

<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग, गांधीनगर ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

मिसिल सं.- गुज/पोर/चुना -037

पंजीकृत पत्र
उल्लंघन पत्र

दिनांक : 07.09.2018

सेवा में : Shri. Sureshbhai Hamirbhai Rathod.
Village & Post-Amardad,
Taluka-Ranavav, Dist- Porbandar,
Gujarat-360560

विषय: गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के ग्राम आदित्याना में स्थित आपकी अदित्याना लाइमस्टोन खान, सर्वे नंबर-190/42, क्षेत्रफल 32.78 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन (Mine Code-38GUJ08274).

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27/07/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
31(4)	<p><i>The plans and sections required under these rules shall be maintained up to date within three months in case of category 'A' mines as referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 55</i> But in your case required plans & sections under these are not updated on quarterly basis and not maintained at mines site office.</p>
Rule 35(2)	<p><i>Every holder of the mining lease shall monitor his mining and allied activities as per the notified template of star ratings in the format prescribed in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self-assessment report before the 1st day of July every year for the previous financial year.</i> In your case, you have not submitted online self-assessment report for the last 2 years (2016-17 & 2017-18) in spite of mining operations were carried out during the said period.</p>
Rule 45(5)(c)	<p>The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner- <i>An annual Return which shall be submitted before 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if it is digitally signed, in the respective Form</i> But, it is observed that, you have not submitted Annual Returns from the year 2015-16 onwards to this Regional office. Therefore, you are directed to submit aforesaid returns in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है |

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वां माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.)
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो